[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 01/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई, 2024

सा.का.नि.......(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा 1 तथा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर,2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, "आधे प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "0.25 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर,2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड(i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।